

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान- बीकानेर


-:कार्यालय आदेश :-

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अंतर्गत श्री कैलाशचन्द्र सामरिया व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि लाडली का बास, दौसा ने दिनांक:-03.08.17 को नोटिस प्रस्तुत कर दिनांक:- 01.12.2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। जिनकी जन्मतिथि 01.07.1961 है।

श्री कैलाशचन्द्र सामरिया व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि लाडली का बास, दौसा, 15 वर्ष की अर्हकारी सेवाएँ एवं 45 वर्ष की आयु दोनों शर्तें पूर्ण करते हैं। अतः राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक- 01.12.17 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री कैलाशचन्द्र सामरिया व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि, लाडली का बास, दौसा के विरुद्ध आज तक -

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम- 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।




(नथमल डिडेल)

आई.एस.  
निदेशक

कार्यालय माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान बीकानेर

कमॉक:-शिविरा/मा/संस्था/ सी-6/राज0विज्ञान/स्वे0 सेनि/31901/2011 दिनांक:-23/10/17  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
- 2-उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, दौसा
- 3-उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जयपुर
- 4-जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) दौसा
- 5-प्रधानाचार्य राउमावि लाडली का बास, दौसा (रजिस्टर्ड)
- 6-श्री कैलाशचन्द्र सामरिया व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि, लाडली का बास, दौसा
- 7-अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग/एसीआर अनुभाग/ए0बी0अनुभाग
- 8-प्रभारी ओएसी- संस्थापन सी अनुभाग
- 9-निजी / रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

कार्मिक विभाग एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति क्रमांक प.(20) शिक्षा-2/2013 दिनांक 6.11.2015 एवं दिनांक 22.08.16 की पालना में दिनांक 31.07.2016 से पूर्व सेवा निवृत्त होने वाले निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा)की उनके तदर्थ/अस्थाई रूप से व्याख्याता पद पर पदस्थापन अवधि से उन्हें नियमित डीपीसी/पीएससी-चयन अथवा सेवा निवृत्ति होने तक की अवधि की कार्योत्तर अभिवृद्धि राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में एतद द्वारा जारी की जाती है।

| कस | नाम व्याख्याता मय पदस्थापन<br>(सर्वश्री/श्रीमती/सूश्री)                               | विषय    | जन्मतिथि   | तदर्थ पदोन्नति आदेश क्रमांक व दिनांक                  | डीपीसी/आरपीएस<br>सी वर्ष | सेवानिवृत्ति तिथि |
|----|---|---------|------------|---|--------------------------|-------------------|
| 1  | गंगा सहाय सोनी, से.नि., अति.ब्लॉक<br>प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, नादौती,<br>जिला- करौली | वाणिज्य | 20-09-1946 | शिविरा/मा/संस्था/सी-2/31821/<br>88-89 दिनांक-14.03.89 | तदर्थ                    | 30-09-2006        |

(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक/शिविरा/मा/संस्था/सी-8/पेंशन आक्षेप/2012 | 268

दिनांक- 23.10.17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 शासन उपसचिव, (शिक्षा ग्रुप-2) विभाग, जयपुर
- 2 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 3 समस्त उप निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग
- 4 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक)
- 5 संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
- 6 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 7 निजी/रक्षित पत्रावली

(प.14)  
संयुक्त निदेशक कार्मिक  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर